आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर

विमान भवन, गोपालबाडी, जयपुर, 302001 दूरभाष न. 0141–2373904 ई–मेलः scr-rj@nic.in

क्रमाक/फा/रिकार्ड/वीड़िग/भूप्रआ/2023/835-844 दिनांकः– 19/02/2024

रद्दी नीलामी हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि,अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 27.02.2024 को दोपहर 12.30 बजे पुरानी पत्रावलियों की कतरन(रद्दी) की नीलामी की जावेगी।

अतः जो भी खरीदार बोली लगाना चाहे,निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर बोली लगा सकता है। नीलामी की कार्यवाही से पूर्व नीलामी हेतु निर्धारित शर्तो के मुताबिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को 500/– अक्षरें पांच सौ रूपये बतौर अग्रिम अमानत राशि नगद जमा करानी होगी। अमानत राशि जमा नहीं करवानें की स्थिति में बोली लगाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी। रद्दी नीलामी हेतु निर्धारित शर्तो की पालना किया जाना आवश्यक है,जो निम्नानुसार हैः–

01. नीलामी में बोली लगाने हेतु बोलीदाता को 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये अग्रिम अमानत राशि नगद इस कार्यालय में दिनांक 27.02.2024 को दोपहर 12.00 बजे से पूर्व जमा करानी होगी। अमानत राशि जमा नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता नीलामी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है।

02. अंतिम बोलीदाता को नीलामी दिनांक 27.02.2024 को कुल नीलामी राशि एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत जी0एस0टी(9 प्रतिशत CGST एवं 9 प्रतिशत SGST)कर सहित नगद जमा करानी होगी,एवं रद्दी उसी दिन हटानी होगी।

03. नीलामी कमेटी को दरें स्वीकार करने/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा व नीलामी कमेटी का निर्णय ही अन्तिम होगा।

04. पत्रावलियों की कतरन/रद्दी का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 10000/– रूपये निर्धारित किया गया है। नीलामी बोली का न्यूनतम अन्तर 200/– रूपये से कम नहीं होगा।

05.नीलामी बिना कारण बताये वापिस लेने एवं स्थगित करने संबंधी समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

06. रद्दी जहां है जैसी स्थिति में है, अनुसार होगी। जिसका निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है।

07. अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अध्यधीन होगी।

अति.भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान जयपुर।

क्रमाक/फा/रिकार्ड/वीड़िग/भूप्रआ/2023/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. निजी सचिव, भू–प्रबन्ध आयुक्त,राजस्थान जयपुर।
02. निजी सहायक, अति.भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
03. वरिष्ठ लेखाधिकारी,/सहायक लेखाधिकारी–I मुख्य कार्यालय ,राज0जयपुर।
04. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी,एस.टी.आई एवं वीड़िग प्रभारी मु0कार्यालय राज0 जयपुर।
05. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी,स्टोर मुख्य कार्यालय राज0 जयपुर।
06. संस्थापन अधिकारी,मुख्य कार्यालय राज0 जयपुर।
07. एसीपी/प्रोग्रामर मुख्य कार्यालय राज0 जयपुर को सूचनार्थ एवं नीलामी सूचना विभाग की वेबसाईट https://landrevenue.rajasthan.gov.in/settlement एवं sppp पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोट करने हेतु।
08. केशियर मुख्य कार्यालय को भेजकर लेख है कि, रद्दी से प्राप्त राशि को उच्च बोलीदाता से प्राप्त कर राजकोष में जमा करावें।
09. नोटिस बोर्ड ।

अति.भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान जयपुर।

131
20/2/24

20/2/24
A.P.